

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5
संख्या-82/2018/1987जे/22-5-2018-1200(9)2017
लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2017

वारण्ट

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध निम्नलिखित पाँच सिद्धदोष बंदियों को मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है:-

- 1- नरसिंह पुत्र रामभरोसे
- 2- दिनेश पुत्र रामस्वरूप
- 3- भगवान दास पुत्र गणेश प्रसाद
- 4- टीकम उर्फ बब्लू पुत्र बलवीर
- 5- ईश्वरदीन पुत्र नोखे

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बन्दियों को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे केन्द्रीय कारागार, बरेली में वापस भेज दिया जाये

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-82/2018/1987जे/22-5-2018-तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-22431/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/9/2018, दिनांक 21-06-2018 के संदर्भ में मूल संलग्नों सहित।
2. जिलाधिकारी, बरेली ।
3. पुलिस अधीक्षक, बरेली ।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।